संख्या-2/2024/1326/78-2-2023-ई-1764378

प्रेषक,

रवि रंजन,

विशेष सचिव,

उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

उद्योग निदेशक,

कानपुर, उ0प्र0।

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनु0-2 लखनऊ: दिनांक: 08 जनवरी, 2024

विषय: वित्तीय वर्ष 2023-24 में वेबसाइट का सिक्योरिटी ऑडिट एवं अनुरक्षण कराये जाने हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति निर्गत कराने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को के पत्र संख्या-डी/23-24/3538 दिनांक 21-11-2023 उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सरकारी वेबसाइट का भारत सरकार में सर्ट-इन के अन्तर्गत इम्पैनल्ड संस्था से प्रत्येक वर्ष सिक्योरिटी ऑडिट एवं अनुरक्षण कराये जाने हेतु होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु कुल धनराशि रू0 2,23,440.00 (रूपये दो लाख तेईस हजार चार सौ चालीस मात्र) की वित्तीय स्वीकृति आपके निवर्तन पर रखे जाने हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करती हैं:-

(1) निदेशक, उद्योग द्वारा वित्त विभाग के आदेश संख्या-बी-1-417/10-2013-16/94, दिनांक 26 फरवरी, 2013 में दी गयी प्रक्रियानुसार सेंट्रल सर्वर के माध्यम से सम्बन्धित कोषागार को बजट आवंटन भेजे जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(2) उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5,भाग-1 के प्रपत्र संख्या-6(ए) (संशोधित) द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को द्वारा बिल बनाकर उसे संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ को प्रतिहस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

(3) उक्त धनराशि का लेखा-जोखा निदेशक, उद्योग, कानपुर द्वारा अपने यहां भी रखा जायेगा।

(4) धनराशि का आहरण तात्कालिक आवश्यकता होने पर ही राजकोष से किया जायेगा।

(5) भुगतान से पूर्व प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को सम्बन्धित कार्य संतोषजनक रूप से पूर्ण होने के सम्बन्ध में सन्तुष्ट हो लेंगे तथा प्रस्तुत बिलों को सत्यापित करा लेंगे।

(6) स्वीकृत धनराशि आहरित कर स्टेट बैंक इण्डिया/ राष्ट्रयकृत बैंकों में ही रखा जाए और यदि शासकीय धन पर कोई ब्याज आर्जित किया गया है तो उसे राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाए।

(7) स्वीकृत धनराशि व्यय किये जाने के पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17-03-2023 एवं अन्य सुसंगत शासनादेशों द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(8) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृति की जा रही है।

(9) प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को धनराशि से सम्बन्धित आकडों की शुद्धता सुनिश्चित करेगें।

(10) उक्त स्वीकृत धनराशि के व्यय उपरान्त प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज, निदेशक, उद्योग कानपुर तथा आईटी एवं इले0 अनुभाग-2 उ0प्र0 शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(11) स्वीकृत धनराशि का उपयोग वेबसाइट का सिक्योरिटी ऑडिट एवं अनुरक्षण तथा व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान हेतु निर्गत दिशा-निर्देशो के अनुसार किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय ''अनुदान संख्या-007-उद्योग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के लेखा शीर्ष 2852-उद्योग, 07-दूरसंचार तथा इलेक्ट्रानिक उद्योग,202- इलेक्ट्रानिक्स-29- वेबसाइट का सिक्योरिटी आडिट एवं अनुरक्षण-16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान'' के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231 /2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकारों के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
रवि रंजन
विशेष सचिव

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक यथोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 लखनऊ / प्रयागराज।
3. निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन लखनऊ।
4. निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ, उ0प्र0।
6. संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
7. प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को,लखनऊ ।
8. वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6
9. नियोजन अनुभाग-4
10. औद्योगिक विकास अनुभाग-2/ सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-3
11. अनु सचिव/ नोडल अधिकारी ऑनलाइन बजट एलॉटमेन्ट सिस्टम, आईटी एवं इले0 विभाग, उ0प्र0 शासन।
12. आईटी एवं इले0 अनुभाग-1 उ0प्र0 शासन।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रवि रंजन
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।